भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता का न्यायालय, सरायकेला

टी0 ए0 मिस वाद संख्या **138B/2016-17**

बसन्ती देवी बनाम शशि भूषण महतो

पदाधिकारी का आदेश एवं हस्ताक्षर	अभ्युक्ति

अभिलेख उपस्थापित। अंचल अधिकारी गम्हरिया के पत्रांक 460 दिनांक 15.2.2017 द्वारा टी0 ए0 मिस वाद सं0 138 B/2016–17 का जाँच प्रतिवेदन एवं तामिला प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है, जिसका अवलोकन किया गया। बिक्रेता बसन्ती देवी पति–स्व0 सतीश महतो ग्राम– छोटागम्हरिया, थाना– गम्हरिया जिला– सरायकेला–खरसावॉ ने मकान बनाने हेतु क्रेता श्री शशि भूषण महतो, पिता – स्व0 भक्त राम महतो, ग्राम– रूपडु थाना – तिरूलडीह जिला– सरायकेला–खरसावॉ को भूमि की बिक्री करने के लिए छोटानागपुर कस्तकारी अधिनियम की धारा 46 के अंतर्गत अनुमति हेतु अनुरोध किये हैं। क्रेता के निवास के संबंध में आधार कार्ड, जाति एवं आवासीय प्रमाण पत्र समार्पित किया गया है। बिक्री की जाने वाली भूमि का विवरण निम्न प्रकार है:–

मौजा	थाना न0	खाता न0	खेसरा न0	रकवा
छोटागम्हरिया	67	93	1014/अंशिक	3.23डी0

न्यायालय द्वारा आम सूचना का प्रकाशन किया गया। निर्धारित तिथि तक किसी ने किसी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं किया है। प्राप्त जाँच प्रतिवेदन एवं संलग्न कागजात से प्रतीत होता है, कि प्रस्तावित भूमि विक्रेता के पति सतीश महतो एवं अन्य के नाम से जमाबन्दी कायम है। पंजी 2 के रैयत की मृत्यु पश्चात् उनकी पत्नी ने अपने हिस्से की जमीन में जो 2.95.64एकड़ है।आवेदिका अंशिक जमीन की बिक्री हेतु अवेदन किये हैं, जिसमे से 3.023डी0 भूमि बिक्री करने के पश्चात् उनके हिस्से में 2.92.41ए0 एकड़ भूमि बचती है। साथ ही विकेता एवं क्रेता एक ही जिला एवं जाति 'कुर्मी ' अत्यन्त पिछड़ा वर्ग के अन्तर्गत आते हैं।

उपर्युक्त तथ्यो एवं अंचल अधिकारी के अनुशंसा के आलोक में उभय पक्ष के निजी दायित्व पर 3.23डीसमिल भूमि बिक्री करने की अनुमति दी जाती है। तद्नुसार अभिलेख निस्तार किया जाता है।

[signature] 09/17

भूमि सुधार उप समाहर्त्ता,
सरायकेला।